न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।

UPUN010015792026

जमानत प्रार्थना-पत्र सं०-672/2026

विशाल कश्यप पुत्र सुशील कश्यप निवासी-ग्राम मवैया, थाना-अचलगंज, जिला-उन्नाव।
.....अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा डी.जी.सी. (क्रिमिनल) उन्नाव।
.....विपक्षी।

दिनांक-19.03.2026

अभियुक्त विशाल कश्यप ने यह जमानत प्रार्थना-पत्र मु०अ०सं०-37/2026 अन्तर्गत धारा-305(A), 317(2) बी.एन.एस., थाना-अचलगंज, जिला उन्नाव में प्रस्तुत किया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार, उन्नाव में निरूद्ध है।

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि, दिनांक 11.02.2026 को वादिनी अलीमुन निशा अपने घर के कमरे में ताला लगाकर अपनी बीमार बहन को देखने पुरवा चली गई थी। दिनांक 12.02.2026 को, समय सुबह करीब 10:00 बजे जब वह घर वापस आई तो देखा कि घर का सामान बिखरा पड़ा है तथा नकद 35,000/-रू०, बच्चे का एक जोड़ी तोड़िया व उसकी एक जोड़ी चांदी की तोड़िया अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया है तथा उसी रात्रि उसके पड़ोसी सुरजीत यादव के घर में चोरी करने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई सामान नहीं गया। अतः रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने की याचना की गई है।

अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना-पत्र में मुख्य रूप से यह कथन किया गया कि, वह निर्दोष है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है, बल्कि उसे फर्जी फंसाया गया है। उसके पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है तथा जो भी बरामदगी दिखाई गई है, वह झूठी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट भी अज्ञात में दर्ज है। उसका इस न्यायालय में प्रथम जमानत प्रार्थना-पत्र है। इसके पूर्व में न तो कोई प्रार्थना-पत्र इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में दिया गया है, न ही खारिज हुआ है और न ही माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

जमानत प्रार्थना-पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियोजन पक्ष का तर्क है कि, अभियुक्त द्वारा सह-अभियुक्त के साथ मिलकर वादिनी के घर में घुसकर दो जोड़ी चाँदी की तोड़िया व नकद 35,000/-रू० को चोरी किया जाना तथा उक्त चोरी से सम्बन्धित दो जोड़ी तोड़िया व नकद 4600/-रू० संयुक्त रूप से उसके कब्जे से बरामद होना बताया गया है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि, उसने कोई चोरी कारित नहीं की। उसके कब्जे से कोई बरामदगी नहीं हुई, कथित बरामदगी झूठी व फर्जी है। थाना पुलिस उसे घर से पकड़कर उक्त मुकदमें में उसका झूठा चालान कर दिया। केस डॉयरी के अवलोकन से यह विदित है कि, घटना दिनांक 11.02.2026 की है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 13.02.2026 को, समय 12:31 बजे थाने पर अज्ञात में विलम्ब से दर्ज कराई गई है। फर्द बरामदगी दिनांकित 14.02.2026 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि, अभियुक्त के कब्जे से उक्त चोरी से सम्बन्धित एक जोड़ी तोड़िया व नकद 1600/-रू० तथा इसके अतिरिक्त सह-अभियुक्त के कब्जे से एक जोड़ी तोड़िया व नकद 3000/-रू० बरामद होना बताया गया है। उक्त बरामदगी समय करीब 12:15 बजे बताया गया है तथा कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी भी नहीं है। उक्त वाद में सह-अभियुक्त की जमानत पूर्व में न्यायालय द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह दिनांक 14.02.2026 से जिला कारागार, उन्नाव में निरूद्ध है।

अतः मामले के उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये गुण-दोष पर कोई टीका-टिप्पणी किये हुये बगैर, अभियुक्त का जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार अभियुक्त का जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त विशाल कश्यप की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र सं०-672/2026 सम्बन्धित मुकदमा अपराध सं०-37/2026 अन्तर्गत धारा-305(A), 317(2) बी.एन.एस., थाना-अचलगंज, जिला उन्नाव में अभियुक्त द्वारा मु०-25,000/-(पच्चीस हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्ध-पत्र व समान धनराशि की दो जमानतें सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर दाखिल करने पर, उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

दि0–19.03.2026

(महेन्द्र कुमार सिंह)
[J.O. Code–UP 1776]
प्रभारी सत्र न्यायधीश, उन्नाव।

अनुराग निषाद/–